न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1104/2024
अनवान : –

1. विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर।
2. मनीष पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. निरमा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर।
2. शकुन्तला पत्नी राकेश जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गौरव पुत्र राकेश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता शकुन्तला पत्नी राकेश जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. नमिता पुत्री राकेश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता शकुन्तला पत्नी राकेश जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. मुकेश कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. कृष्णा पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. मनिशा पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -07/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वसत 2076–2079 के खाता संख्या 122/106 के खसरा नं. 251 की कुल 5.0600 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के पिता मृतक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 के पिता मृतक साबराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र प्रसाद व साहबराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी संख्या 1 के पिता राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओम प्रकाश का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस निरमा (पत्नी) विकास कुमार (पुत्र) व राकेश (पुत्र) हुए। राकेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है तथा वादी संख्या 2 के पिता साहबराम पुत्र ओम प्रकाश का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:36:06 IST
Reason: SelfAttested

नोहर

जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा हैं। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी संख्या 1 की माता है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्र व मृतक पुत्र के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 जो कि वादी संख्या 2 की माता है व प्रतिवादीया संख्या 7 जो कि वादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रो/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1, 6 व 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/106 के खसरा नं. 251 की कुल 5.0600 है0 भूमि में मृतक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतक साहबराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ललानिया सम्वत 2076–79 खाता स0 122/106 मृत्यु प्रमाण साहबराम, राकेश कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र प्रसाद व साहबराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी संख्या 1 के पिता राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओम प्रकाश का स्वर्गवास हो चुका है जिनके

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वारिस निरमा (पत्नी) विकास कुमार (पुत्र) व राकेश (पुत्र) हुए राकेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है तथा वादी संख्या 2 के पिता साहबराम पुत्र ओम प्रकाश का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी संख्या 1 की माता है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्र व मृतक पुत्र के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 जो कि वादी संख्या 2 की माता है व प्रतिवादीया संख्या 7 जो कि वादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रो/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1, 6 व 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/106 के खसरा नं. 251 की कुल 5.0600 है0 भूमि में मृतक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतक साहबराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वसत 2076–2079 के खाता संख्या 122/106 के खसरा नं. 251 की कुल 5.0600 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के पिता मृतक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 के पिता मृतक साबराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र प्रसाद व साहबराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी संख्या 1 के पिता राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओम प्रकाश का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस निरमा (पत्नी) विकास कुमार (पुत्र) व राकेश (पुत्र) हुए राकेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है तथा वादी संख्या 2 के पिता साहबराम पुत्र ओम प्रकाश का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस [illegible] 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक [illegible] कि वादी संख्या 1 की माता है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती [illegible] तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्र व मृतक पुत्र के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 जो कि वादी संख्या 2 की माता है व प्रतिवादीया संख्या 7 जो कि वादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रो/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1, 6 व 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/106 के खसरा नं. 251 की कुल 5.0600 है0 भूमि में मृतक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतक साहबराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक राजेन्द्र प्रसाद व साहबराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/106 के खसरा नं. 251 की कुल 5.0600 है0 भूमि में मृतक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक साहबराम पुत्र ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1104 / 2024
अनवान : –

1. विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर।
2. मनीष पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. निरमा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर।
2. शकुन्तला पत्नी राकेश जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गौरव पुत्र राकेश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता शकुन्तला पत्नी राकेश जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. नमिता पुत्री राकेश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता शकुन्तला पत्नी राकेश जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. मुकेश कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. कृष्णा पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. मनिशा पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1104 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/106 के खसरा नं. 251 की कुल 5.0600 है0 भूमि में मृतक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक साहबराम पुत्र ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर